

मानव संसाधन विकास विभाग
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषण,

निदेशांक मा 01 श 08 शारखंड, रांची

सेवा में,

सचिव,
सी 0 बी 0 एस 0 ई 0 नई दिल्ली।

रांची, दिनांक 30/11/2011

विषय- शारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों को सी 0 बी 0 एस 0 ई 0 नई दिल्ली संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय, उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग शारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त राज्य के अंतर्गत संचालित निम्नांकित निजी विद्यालयों को सी 0 बी 0 एस 0 ई 0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु नीचे अंकित शर्तों एवं बन्धनों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है:-

1. इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, काँके रोड रांची।
2. स्टार इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल कोकर रांची।
3. इस्ट प्याईन्ट रांची।
4. सरस्वती विद्यामंदिर करकेट्टा परियोजना खेलांडी, रांची।
5. दयावती श्रीदी पब्लिक स्कूल उमेशनगर, चाण्डिल पूर्वी सिंहभूम।
6. गायत्री शिक्षा निवेदन उच्च विद्यालय, आदिन्द्रपुर सरायकेला-खरसावा।
7. डी 0 ए 0 सी पब्लिक स्कूल सिमडेगा।
8. स्कूल आर्क कम्प्यूटरीजन तालडामा हाउसिंग कलोनी सिद्धार्थ नगर, धनबाद।
9. मुनक्का पब्लिक स्कूल महाराजगंज, हजारीबाग।
10. सरस्वती शिक्षा विद्या मंदिर बरगड़ा गिरौडीह।
11. सरस्वती विद्या मंदिर रजरप्प प्रोजेक्ट हजारीबाग।
12. राम प्रसाद चन्द्रभान सरस्वती विद्या मंदिर गोंछा रोड, हजारीबाग।
13. ग्रीन माउन्ट एकेडमी, जेल रोड दुमका।

शर्त एवं बन्धन जिसके अधीन उपर्युक्त निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

1. विद्यालय की वार्षिक बचत आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभार्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है।

Self Attested

Principal

गया है।
कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचेगा, होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जाएगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा।

2. विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा।
3. विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से निर्बाधत या कम से कम 30 वर्ष के निर्बाधत पट्टा/लीज पर होना चाहिए यदि भविष्य में जाचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित रहेगा।
4. विद्यालय में हिन्दी भाषा की मातृ अनिवार्य होनी चाहिए।
5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैंडिडेशन कीस नहीं लिया जायेगा।
6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्रों का 10 प्रतिशत स्थान नामांकन के लिए सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा।
7. विद्यालय का कार्य कलाप राइट के हित में होना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्रियता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, मानविक, शारीरिक एवं -घटित्व विकास हेतु साक्षात्कार प्रोत्साहन करना होगा।
8. विद्यालय में छात्रों की संचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिए।
9. विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति, प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीचीनान्त संशोधन कर सकेगी।
10. विद्यालय में छात्रों की गतिता नियमावली के आधार पर गठित प्रांतीय निकाय के सदस्यों की कार्यविधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्स्टेंशन प्रोग्राम तथा एनओसीओसीओ, एनओएसओएसओ स्कालर एवं गार्ड आदि को लुपार रूप से करना होगा।
12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी जोड़ से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5-9-2001 के अनुसार पार्टी का पालन करना होगा अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा।
13. उपर्युक्त पार्टी या बन्धन का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।
14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये विद्यालय द्वारा संचित कागजातों एवं अभिलेखों को जिला वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विद्यालय द्वारा संप्रदाय या राज्योहित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसे कार्य जिससे सामाजिक कदता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है।
15. विद्यालय द्वारा उपर्युक्त पार्टी एवं बन्धन को अनुपालन किया जा रहा हो अथवा नहीं, इसकी जांच समय-समय पर मानव साधन विकास विभाग, रायपुर करायेंगी।

Self Attested

Like

शारखंड के कम प्रभावित क्षेत्रों द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विधालय
लेखा के विधिवीय एवं अकारणीय अनियमितताओं की जांच करा सकेगी और अशुद्ध
वांगोराज्य शुद्धीकरण अनुसंधान कार्यवाही कर सकेगी ।

18. एतद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का नियंत्रण प्रशासनिक
मानवीय शारखंड उच्च न्यायालय, रांची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

19. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विधालय सम्बन्धन संबंधी
को विधिवीय विधेयकों उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा वास्तविकता का
रूप में न्यायिक प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्यवाही
की जायेगी ।

विधायक राजन

30.1.2024
शुद्धीकरण, रांची

निदेशांक माध्यमिक शिक्षा
शारखंड, रांची ।

आपको 30.1.2024 / रांची, दिनांक - 30.1.2024
प्रतिनिधि, संबंधित क्षेत्रों के निदेशांक/ सभी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी
प्रशासिक/ सभी संबंधित विधालय के प्रधानाध्यापकों को सूचना के माध्यम से प्रेषित ।

30.1.2024
शुद्धीकरण, रांची
निदेशांक माध्यमिक शिक्षा
शारखंड, रांची ।

आपको 30.1.2024 / रांची, दिनांक - 30.1.2024
प्रतिनिधि, मानवीय सेवा के आप्त सचिव/ सचिव, मानव संसाधन विभाग
विभाग, शारखंड, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

30.1.2024
निदेशांक माध्यमिक शिक्षा
शारखंड, रांची ।

Self Attested,

Lulu

AV Public School
Simdega-835223